



लिंग पर आधारित हिंसा (जीबीभि): जानकारी एवम अन्तरराष्ट्रीय छात्रों के लिए स्रोत और संसाधन

संयुक्त राज्य अमेरिका के कलेजों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए आने वाले बिधार्थियों कि संख्या हर साल दस लाख से भी अधिक होता है। भाषा एवम सांस्कृतिक अन्तर और अमेरिकी कानूनों से संभावित अपरिचितता उन अन्तरराष्ट्रीय बिधार्थियों के लिए चुनौतियाँ पैदा कर सकती हैं जो लिंग पर आधारित हिंसा (जीबीवी) का अनुभव करते हैं।

लिंगके आधारमे होने वाली हिंसामे बिधार्थियों कि शारीरिक, यौन जन्य, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और भावनात्मक शोषण शामिल हो सकता है जो उनके कल्याण और बैयक्तिक बिकास पर प्रतिकूल असर कर सकता है। छात्र छात्राओं के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीबीभि क्या है, यह किसे प्रभावित करता है और सहायता कैसे प्राप्त करें।

लिंग पर आधारित हिंसा क्या है?

जीबीभि किसी व्यक्ति या समूह पर लक्षित हानिकारक धमकी या कार्य है जो उनके लिंग के आधार पर किया जाता है। यह किसी को भी वास्तविक वा परोक्ष रूपसे निचे दिए गए विषयोंके आधारमे भि प्रभावित कर सकता है:

- आयु
- सामाजिक आर्थिक स्थिति
- अध्यागमनकी हैसियत
- अंग्रेजी भाषा सीखनेकी स्थिति
- संस्कृति
- लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति, या यौन रुझान
- विकलांगता
- नस्ल, जातीयता, राष्ट्रीयता, या धर्म
- अन्य कारक तत्व

अपराधी जो कोइ भि हो सकतें हैं: सहकर्मी, प्राधिकारीक व्यक्ति, परिवार के सदस्य,आपके जानने वाले या अजनबी।

जीबीभि के बारे में और मदद लेने के तरीके के बारे में और जानें

यदि आप जीबीभि किसि और पर होते हुए देखते हैं या खुद अनुभव करते हैं तो कृपया जानें आन्तरिक सुरक्षा विभाग अन्तरगत स्थापित लिंग पर आधारित हिंसा रोकथामके लिए खुली हुई शिक्षा विभाग का उत्तर माध्यमिक शिक्षा कार्यालयने आपको अपने अधिकारों, और अपने स्कूल और कानून की जिम्मेदारियों और कानुनी कार्यान्वयन के बारेमे सूचित करने के लिए ऑनलाइन संसाधन बनाया है। निम्न लिखित विषयों पर जानकारी हासिल करनेके लिये क्यु आर कोड को यहां स्कैन करें:

- जीबीभि के बारे में जानकारी
- अध्ययन करते वक्त अगर आप जीबीभि होते देखते हैं या अनुभव करते हैं तो क्या करना चाहिए और रिपोर्ट कैसे करने चाहिए
- यदि आप जीबीभि का अनुभव करते हैं तो आप्रवासनके विकल्पों के बारेमे भि खुदको परिचित करवा सकते हैं

लिंग पर आधारित हिंसाके उदाहरण

जीबीवी के कुछ स्वरूप में शामिल हैं::

- घरेलू या डेटिंग हिंसा
- लिंग पर आधारित उत्पीड़न (यौन हिंसा सहित)
- पीछा करना
- ऑनलाइन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार
- जबरन शादी
- महिला जननांग अंगभंग/काटना (एफजीएम/सी)
- मानव तस्करी



अधिक जानकारी के लिए